न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 05/24 (TI) विमला बनाम ओमप्रकाश वगैरह

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.2024	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी एवं विड्रा पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। स्वयं प्रार्थी उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाने एवं विड्रो करने के कारण खारिज हो चुका है। इस प्रार्थना पत्र का अब आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 07.02.2024 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त (Vacate) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	विमला ओमप्रकाश वगैरा

Scanned with CamScanner